राजस्थान सरकार
राज्य शिक्षा

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 4 (428) सकारि/नि.सं./2010/631 दिनांक- 07/11/2016

आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर अकादमी सत्र 2016-17 से निम्नलिखित महाविद्यालय को अंकित विषय/संकाय के लिये स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

महाविद्यालय का नाम व पता	सम्बद्धक विश्वविद्यालय	विषय/संकाय
राजश्री महाविद्यालय मोती नगर, बड़सम रोड़, सांचौर जिला जालोर	जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर	अनिवार्य विषयों सहित स्नातक (कला संकाय) - राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, हिन्दी साहित्य, भूगोल, इतिहास, अंग्रेजी साहित्य, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, लोकप्रशासन, दर्शनशास्त्र, राजस्थानी।

1. सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं बी0सी0आई0 से संबद्धता प्राप्त करने का दायित्व संस्था का होगा।
2. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राध्यापकों एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
3. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
4. संस्था को समय-समय पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/ आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
5. संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्सम्बन्धी नियम 1999 के सभी उपबन्धों की निरंतर अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी।
6. संस्था को स्थाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तों का कभी भी उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को प्रत्याहरित (Withdraw) किया जा सकता है।
7. संस्था को प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार आयुक्तालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा।
8. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
9. सिंधि महाविद्यालयों को बी.सी.आई. के नियमों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
10. संस्था प्रतिवर्ष आयुक्तालय/राजकीय महाविद्यालय/विभाग की वेबसाईट www.dce.rajasthan.gov.in से छात्रसंख्या पुस्तिका एवं महाविद्यालय डिरेक्टरिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
11. संस्था महाविद्यालय की Website बनाकर आयुक्तालय को 15 दिवस Website address की सूचना देगी।
12. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format-II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय इसकी Hard copy आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करें। इस डाटा के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित वेबपोर्टल Know Your College पर महाविद्यालय की जानकारी सामान्य जन एवं छात्रों को उपलब्ध हो सकेगी।
13. उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को को प्रत्याहरित कर लिया जावेगा।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -
1. निजी सचिव, माo उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, जालोर।
4. कुल सचिव, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
5. सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।
6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. पत्रावली।

Scanned by CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग

आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (406) आयोशि/निज./2010/ 824 दिनांक- 18/7/2017

आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर अकादमी वर्ष 2017-18 से निम्नलिखित महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर पूर्वस्थापित व स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन संकाय/ विषय में स्थाई अभ्यर्पित प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

महाविद्यालय का नाम व पता	सम्बद्धता विश्वविद्यालय	संकाय/विषय
राजश्री महाविद्यालय, मोती नगर, बड़सन रोड, सांचौर, जिला-जालौर।	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।	स्नातक स्तर पर- विज्ञान संकाय- प्राणीशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित। कला संकाय- राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल। स्नातकोत्तर स्तर पर- एम.ए.-भूगोल, इतिहास।

1. उक्तांकित विश्वविद्यालय एवं बीसीआई/एनसीटीई से मान्यता प्राप्त करने का दायित्व संस्था का होगा।
2. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हतानुसार प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
3. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
4. संस्था को प्रपत्र-2 पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों का पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
5. संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 तथा तत्सम्बन्धी नियम 1990 में समी उपबन्धों की निरंतर अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।
6. संस्था को स्थाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तों का समी परिप्रेक्ष्यों में उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही कर स्थाई मान्यता को प्रत्याहरित (Withdraw) किया जा सकता है।
7. संस्था को प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार आयुक्तालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा।
8. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
9. विधि महाविद्यालयों को बी.सी.आई. के नियमों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
10. संस्था प्रति वर्ष आयुक्तालय/ नजदीकी राजकीय महाविद्यालय/ विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in से सांख्यकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
11. संस्था महाविद्यालय की website बनाकर आयुक्तालय को 15 दिवस में website address की सूचना देगी।
12. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय इसकी Hard copy आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करे। इस डाटा के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित वेबपोर्टल Know Your College पर महाविद्यालय की जानकारी सामान्य जन एवं छात्रों को उपलब्ध हो सकेगी।
13. उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थायी अभ्यर्पित प्रमाण-पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जायगा।

18/7

आयुक्त
कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –
1. विशेष सहायक, माo एवम् शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शिक्षा कलेक्टर, जालौर।
4. मुख्य अभिभ, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
5. प्राचार्य, सम्बन्धित महाविद्यालय।
6. पारिवारी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. पत्रावली

संयुक्त-निदेशक (नि.स.)
कालेज शिक्षा, जयपुर(राज.)

Scanned by CamScanner